



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/4/2026- ADMN

स्थापना आदेश सं.: 22/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्थापना आदेश सं. CCU-46/2026 दिनांक 01.07.2026 के अंतर्गत कार्यकारी सहायक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	निरीक्षक का नाम (सुश्री/ श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Kuldeep Singh Rajpurohit	07.10.1992	On promotion	CGST Jodhpur
2.	Anant Kumar Garg	09.09.1989	On promotion	CGST Alwar

2. संबंधित प्रधान आयुक्त/ आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित अधिकारियों को दिनांक 17.07.2026 तक कार्यभारमुक्त कर निर्देश देवें कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से सम्बंधित स्थापना आदेश जारी करते समय, स्थानांतरण नीति दिशानिर्देश, 2018 (यथा संशोधित), अधिकारियों की पोस्टिंग का इतिहास और सीवीसी/ सीवीओ द्वारा समय-समय पर जारी संवेदनशील/ असंवेदनशील पोस्टिंग के संबंध में विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखा जावे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(शर्मा सूर्यप्रकाश गुलाबचंद)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अलवर/ जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. निरीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

5. वेबमास्टर - जौनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।